

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, डारखापड, रॉची।

दिनांक-25.08.2019

सेवा में

श्री दिवाकर झा,
स्कूल ऑफ कम्पिटिशन,
तलदंगा हाउसिंग कॉलोनी,
सरिसापहाड़ी, चिरकुण्डा, धनबाद।

विषय:- स्कूल ऑफ कम्पिटिशन, तलदंगा हाउसिंग कॉलोनी, सरिसापहाड़ी, चिरकुण्डा, धनबाद का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमनालय पदाधिकारी, धनबाद से कराई गई। उनके ज्ञापांक-293 दिनांक-26.08.2019 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि :-

1. Set – Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जायेगा।
2. भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जायेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes के साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानों पर किया जायेगा तथा हर समय उसे संधारित रखा जायेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न ही बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
7. भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
8. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस छील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
9. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
10. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
11. किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
12. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञित रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. आक्रिमिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्ले किया गया है, उसे निर्धारित रखा जायेगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-31.08.2020 तक के लिये मान्य है।

**SUDHIR
KUMAR VERMA**

Digitally signed by SUDHIR KUMAR VERMA
DN : c_IN_814491_HAND_FIRE_SERVICE GOVERNMENT OF
JHARKHAND, ou_JHARKHAND FIRE SERVICE, EJ_HANDB
RANCHI, postalcode:834002, st=Jharkhand,
25.12.08,sha256,47a7b6852184c2d31daea7a450949de4
c99d2396ca,db249c1c1c,
serialnumber=16095561889fd65dd1f2c21c6f139c0982175
File# 81141484880863136, o=SUDHIR KUMAR VERMA
Date: 2019.08.25 15:01:07+05'30'

(श्री सुधीर कुमार वर्मा)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, रॉची।